न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 05/2018 तारीख रजू :– 05.02.2018

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

रामदयाल पुत्र हरमुख जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————————— आवेदक

बनाम

1.	जगमोहन	पिसरान भरोसी	जाति नाई
2.	हरिमोहन		
3.	पुरूषोत्तम		निवासी पट्टीनारायणपुर
4.	अनिल		
5.	जीतेन्द्र		तहसील हिण्डौन
6.	मु0 किन्नो बेबा भरोसी		
7.	गीता पुत्री भरोसी		
8.	गुडिया पुत्री भरोसी		

9. स्टेट जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— अनावेदकगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0टी0एक्ट</u>

उपस्थित :–1. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट आवेदक

2. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट अनावेदक सं01ता 6

निर्णय

दिंनाक :– 15-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर.टी.एक्ट के तहत खिलाफ अनावेदकगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1.25 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर का प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं, जिसमें प्रार्थी ने सिंचाई हेतु ट्यूबबैल करा रखा है तथा फसल उपज एवं कृषि उपकरणों को रखने हेतु पुख्ता कमरा एवं पाटौर पोश घर बना रखा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी के खसरा नम्बर 848 एवं 847/1028 की मध्य में प्रतिवादी गैरसायल नं01 ता 8 की भूमि खसरा नम्बर 847 रकबा 1.25 है0 वाके पट्टी नारायणपुर स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थी का बुजुर्गों के समय से ही हिण्डौन–महवा रोड से पूर्व को स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 841 में से होकर खसरा नम्बर 840,832,831 के सहारे से होकर चारागाह भूमि खसरा नम्बर 847/1028 में होकर गैरसायलान के खसरा नम्बर 847 की उत्तरी डोल के सहारे खसरा नम्बर 847 की भूमि में होकर अपने कब्जा काश्त एवं खातेदारी के खसरा नम्बर 848 को आने जाने का रास्ता बिना रोक टोक निरन्तर रहा है, जिसमें होकर प्रार्थी एवं उसके परिवारजन खेतों की जुताई बुबाई के लिए एंव फसल एवं घास बगैराह ट्रोली से निरन्तर बिना रोक टोक उक्त रास्ता में होकर आ जा रहे हैं तथा रास्ता का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। मौके पर 15 फिट चौडाई में खसरा नम्बर 847 की उत्तरी डोल के सहारे की भूमि बुजुर्गों के समय से रास्ते प्रार्थी के काम में आ रही है। जिसे लाल रंग से नकशा में प्रदर्शित किया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि अब गैरसायलान का पिता एवं पति भरोसी नाई मरने पर गैरसायलान के दिल में बदयान्ति आ गयी है तथा खेत खसरा नम्बर 847 में से पूर्व की भांति ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने से दिनांक 10.12.2017 को प्रार्थी से मना किया तथा झगडा फिसाद करने को उतारू हो गये। गैरसायलान को काफी समझाया कि खसरा नम्बर 847 में होकर खसरा नम्बर 848 में जाने का रास्ता पूर्वजों के समय से हैं तथा गैरसायलान के पिताजी ने अपने जीवन काल में कभी भी ऐतराज नहीं किया तथा प्रार्थी का खसरा नम्बर 847 का आने जाने का रास्ता सार्वजनिक भूमि चारागाह में होकर बदस्तूर आज तक है लेकिन इसके बावजूद गैरसायलान एक ता 8 ने ऐलानिया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कि आयन्दा खेत खसरा नम्बर 847 मे होकर ट्रेक्टर ट्रोली नहीं लाने ले जाने देंगे और जुताई बुबाई करने के लिए ट्रेक्टर ले जाने के लिए मना किया। यदि गैरसायलान अपने इरादे में कामयाब हो गये तो हकूक सायल को अपूरणीय हानि होगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं09 लैण्ड होल्डर होने के कारण तरतीबी प्रतिवादी गैरसायल बनाया गया है, उसके खिलाफ कोई इस्तदुआ नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण नं01 ता 8 के खसरा नम्बर 847 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर की उत्तरी डोल के सहारे 15 फिट उत्तर दक्षिण एवं 330 फिट पूर्व पश्चिम को कम की जाकर उसे गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दर्ज की जावे। प्रार्थी उसकी डी0एल0 सी0 कीमत जमा करेगा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक सं01 ता 6 की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथ अनावेदकगण सं01 8 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 848 रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम पट्टीनारायणपुर में रामदयाल का पाटौर पोश घर व कमरा बना हुआ नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 गलत है और स्वीकार नहीं है। आवेदक का यह कथन गलत है कि उसका बुजुर्गों के समय से ही हिण्डौन–महवा रोड से पूर्व दिशा की ओर स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 841 में होकर खसरा नम्बर 840,832, 831 के सहारे होकर चारागाह भूमि खसरा नम्बर 847/1028 में होकर गैरसायलान की भूमि खसरा नम्बर 847 के उत्तरी डोल के सहारे भूमि खसरा नम्बर 847 में होकर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नम्बर 848 में आने जाने का रास्ता बिना किसी रोक टोक के न्तर रहा हो। आवेदक का यह कथन भी गलत है कि भूमि खसरा नम्बर 847 होकर वह व उसके परिवारजन खेतों की जुताई, बुबाई,फसल एवं घास वगैराह लिए ट्रोली से निरन्तर बिना किसी रोक टोक आ जा रहे हो तथा आवेदक यह कथन भी गलत है कि तथाकथित रास्ते का उपयोग कर रहे हो। वेदक का यह कथन भी गलत है कि मौके पर 15 फिट चौडाई में भूमि खसरा म्बर 847 की उत्तरी डोल के सहारे की भूमि बुजुर्गों के समय से आवेदक के स्ते के काम में आ रही हो, बल्कि सही तथ्य यह है कि भूमि खसरा नम्बर 847 कबा 1.26 है0 प्रतिपक्षीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है कि जिसमें होकर आवेदक व उसके परिवारजन का मौके पर बना हुआ कोई रास्ता नहीं है और ना ही आवेदक ने कभी भूमि को रास्ते के उपयोग में लिया है और ना ही उसे लेने का अधिकार है। आवेदक ने इस मद में दर्ज सभी कथन कतई गलत, बदनियती से प्रेरित होकर दर्ज किये हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 कतई गलत है। स्वीकार नहीं है। जब प्रतिपक्षीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 847 रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम पट्टीनारायणपुर में होकर आवेदक के उपयोग उपभोग के लिए कोई बना रास्ता मौके पर मौजूद ही नहीं है और ना ही आवेदक ने उक्त भूमि या उसके किसी भाग को रास्ते के उपयोग में कभी लिया है। दिनांक 10.12.2017 को या किसी भी दिन किसी भी समय आवेदक व प्रतिपक्षीगण के मध्य इस मद में वर्णित कोई वार्तालात नहीं हुआ है। आवेदक ने इस मद में समस्त कथन कतई गलत व बनावटी महज प्रार्थना पत्र दायर करने की गरज से बयान किये हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 गलत है। जो स्वीकार नहीं है। आवेदक ने प्रतिपक्षी नं09 को विधि अनुसार नोटिस म्यादी दो माह देकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है कि जिसके अभाव में आवेदक का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विशेष कथन :-

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि आवेदक ने प्रार्थना पत्र बदनियती से लालच के वशीभूत होकर बिना किसी अधिकार व औचित्य के प्रतिपक्षीगण को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है कि जो कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि आवेदक ने तथाकथित रास्ते का प्रार्थना पत्र में सही मेजरमेन्ट दर्ज नहीं किया है। प्रार्थना पत्र हाई एण्ड सिक के आधार पर पेश होने के कारण काबिले रिजेक्शन है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि आवेदक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिपक्षी नं09 व श्रीमान् जिला कलक्टर करौली को रजि0नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी म्यादी दो माह देकर विधि अनुसार पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि आवेदन पत्र के मद नं03 व 4 में वर्णित तथ्यों के अनुसार आवेदक इजमेन्टरी राईड (सुखाधिकार) के आधार पर तथाकथित रास्ते के बाबत् क्लेम कर रहा है कि जिसके लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय के काबिल समाअत न होकर सिविल न्यायालय के काबिल समाअत है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि आवेदक ने तथाकथित रास्ते के बाबत् कोई नक्शा या मार्क्ड अक्स शीट (ट्रेस) पेश नहीं की है कि जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि आवेदक ने तथाकथित रास्ते के बाबत् सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियों/ अधिकारियों की जॉच रिपोर्ट भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं की है कि जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र हाजा विधि अनुसार अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं होने के कारण कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील आवेदक ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2069 किता–4, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अनावेदक सं01 ता 6 ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी भरोसी पुत्र घमण्डी जाति नाई निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 847/1028 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामदयाल पुत्र हरमुख जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक भू.अ./2021/404 दिनांक 02.02.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है। फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि आज दिनांक 01.02.2021 को तहसीलदार हिण्डौन के आदेश कमांक एलआर/2021/1279 दिनांक 27.01.2021 की पालना में मुकदमा नं0 05/2018 उनवानी रामदयाल बनाम जगमोहन वगैराह में खसरा नम्बर 848 रकबा 1.25 है0 ग्राम पट्टीनारायणपुर की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर आया। मुताविक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रिकार्ड खसरा नम्बर 848 रकबा 1.25 है0 रामदयाल पुत्र हरमुख जाति निवासी पट्टीनारायण के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर गेहूं की फसल है एवं उक्त खसरा नम्बर 848 में एक आवासीय मकान 50 42 वर्गफिट का बना हुआ है। सात गैह दुपल्ला पाटौर बनी हुई है एक बना हुआ है, एक ट्यूबबैल बनी हुई है। प्रार्थी अपने परिवार के छोटे पुत्र साथ यही निवास करता है। रामदयाल ने बताया कि अपने आवास के आने लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थी ने अवगत कराया कि खसरा नम्बर 847 जो कि किसी दीगर व्यक्ति की खातेदारी भूमि है में से मुझे रास्ता दिलवाया जावे। उसकी डीएलसी राशि जमा करवा गा। फर्द मौका पढकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर कराये गये। उक्त फर्द मौका र पटवारी हल्का एवं विक्रमसिंह, नीतू के हस्ताक्षर हैं तथा रामदयाल व सन्तो पत्नि कारया की निशानी अंकित है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक भू.अ./2022/2123 दिनांक 27.07.2022 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है। फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि आज दिनांक 25.07.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के आदेश क्रमांक रीडर/3250 दिनांक 22.06.2022 व तहसीलदार हिण्डौन के आदेश क्रमांक एलआर/1565–66 दिनांक 29.06.2022 की पालना में आर.टी. एक्ट की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र रामदयाल बनाम जगमोहन वगैराह में दर्ज मुकदमा नं0 05/2018 में पटवारी हल्का रेवई के साथ ग्राम पट्टीनारायणपुर के खसरा नम्बर 848 रकबा 1.25 है0 के लिए खसरा नम्बर 847 रकबा 1.26 है0 में से होकर 15 फिट चौडाई में रास्ता चाहने बाबत् मौका देखा गया। मुताविक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 848 रकबा 1.25 है0 रामदयाल पुत्र हरमुख जाति जाट व खसरा नम्बर 847 जगमोहन जीतेन्द्र पुरूषोत्तम अनिल हरिमोहन पि0 भरोसी गीता गुडिया पुत्रियॉ भरोसी किन्नो पत्नि भरोसी जाति नाई सा0देह दर्ज रिकार्ड है। मौके पर पक्षकारान व अन्य मौतविरान को सूचित करवाया गया। वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर स्थित खसरा नम्बर 847 में मुताविक मौका कोई रास्ता नहीं है। फसल काश्त है तथा खसरा नम्बर 848 में मकान पाटौर पोश है तथा शेष रकबा काश्त है। यदि आवेदक के लिए खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

...में से होकर चाहे अनुसार रास्ता प्रस्तावित किये जाने पर खसरा नम्बर 847 उत्तरी मेंड के सहारे पूर्व पश्चिम की तरफ लम्बाई 93 मीटर गुणा चौडाई 4.. मीटर से कुल रकबा 0.0425 है0 रास्ते में जाता है, जिसको नजरी नक्शा में ...ल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी खसरा नम्बर 841 जो कि मुताविक ...कार्ड रा0प्रा0वि0 पट्टीनारायणपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है में से विधालय द्वारा ...छोड़ी गई भूमि में व चारागाह खसरा नम्बर 847/1028 में होकर जाते हुए खसरा नम्बर 847 में प्रस्तावानुसार रास्ता खसरा नम्बर 848 में पहुँचने के लिए ...चाहता है जो नक्शा में डोटेड लाईन से प्रदर्शित है। पर्चा मौका तैयार कर पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर लिये गये। उक्त फर्द मौका पर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर, श्री अजयसिंह बैनीवाल पटवारी पटवार मण्डल रेवई, ...देनेश, विजयसिंह, सुरेश के हस्ताक्षर हैं तथा रामदयाल की निशानी अंकित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि आवेदक ने आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 1.26 है0 में से उत्तरी तरफ 15 फिट चौडाई में रास्ता की मांग अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 848 ग्राम पट्टीनारायणपुर को आने जाने के लिए की है। जबकि मुताविक नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक भू.अ./2022/2123 दिनांक 27.07.2022 से से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार हिण्डौन– महवा रोड से आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 848 के मध्य खसरा नम्बर 841 एवं 847/1028 है। जिनमें से प्रार्थी ने रास्ता दिये जाने की कोई मांग नहीं की है। मात्र खसरा नम्बर 847 में होकर रास्ता की मांग की गई है। जब आगे के खसरा नम्बरों में होकर ही रास्ता नहीं है तो खसरा नम्बर 847 में होकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि हिण्डौन– महवा रोड के लंगवा खसरा नम्बर 841 जो कि मुताविक रिकार्ड रा0प्रा0वि0 पट्टीनारायणपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है में से कोई रास्ता की मांग आवेदक ने नहीं की है और ना ही खसरा नम्बर 847/1028 में से रास्ता की मांग की है तथा उक्त दोनों फर्द मौका व राजस्व सीट के अनुसार भी मौके पर खसरा नम्बर 847 में होकर कोई भूमि रास्ता के उपयोग में नहीं आना बताया है अर्थात् खसरा नम्बर 847 में मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक उक्त खसरा नम्बर 847 में होकर बुजुर्गो के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ज़माने से आते जाते रहे हों तथा खसरा नम्बर 847 सम्पूर्ण में खातेदारान की फसल खडी होना अंकित किया है। इस प्रकार आवेदक अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट विरूद्ध अनावेदकगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. एक्ट 1955 विरूद्ध अनावेदकगण बाबत ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन की भूमि खसरा नम्बर 847 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर की उत्तरी डोल के सहारे 15 फिट उत्तर दक्षिण एवं 330 फिट पूर्व पश्चिम चौडाई का दिये जाने का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 15-9-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली